संख्या-27/2023/1505/तेइस-7-2023-23-7099/40/2023

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्तापरि)0/नियो0),

लोक निर्माण विभाग,

उ0प्र0, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-**7** लखनऊःदिनांक 28 नवम्बर, 2023

विषयः- श्री सुभाष कुमार, चौकीदार, निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग, बाँदा की पत्नी श्रीमती गौरी के चिकित्सा उपचार पर व्यय की धनराशि की प्रतिपूर्ति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्रांक-**3619**व्यग/**04**व्यग(**06)/2023,** दिनांक **31.10.2023** के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकारी सेवकों की चिकित्सा परिचर्या नियमावली-**2011 (**यथा संशोधित) के निहित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित किये गये अधिकारों के अन्तर्गत श्री सुभाष कुमार, चौकीदार, निर्माण खण्ड-**1,** लोक निर्माण विभाग, बाँदा की पत्नी श्रीमती गौरी के मैंक्स सुपर स्पेशियलटी हॉस्पिटल, नई दिल्ली में दिनांक **13.11.2022** से दिनांक **18.11.2022** तक कराये गये उपचार पर हुए कुल व्यय धनराशि रू**0 7,22,468.00 /-(**रूपये सात लाख बाईस हजार चार सौ तिरेसठ मात्र) के सापेक्ष मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बांदा द्वारा भुगतान हेतु संस्तुत धनराशि रू**0 6,50,463.00 (**रू**0** छः लाख पचास हजार चार सौ तिरसठ मात्र) की चिकित्सा प्रतिपूर्ति किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- उक्त चिकित्सा दावे से सम्बन्धित बिल/बाउचर्स, अनिवार्यता प्रमाण पत्र आदि समस्त अभिलेख मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि उक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे का भुगतान किये जाने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि सम्बन्धित बिलों का भुगतान इसके पूर्व नहीं हुआ है और यदि उक्त चिकित्सा हेतु कोई अग्रिम धनराशि स्वीकृत की गयी हो तो उसे समायोजित कर लिया जाय।

3- उपर्युक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष **2023-24** के आय-व्ययक के अनुदान सं**0-54** के अधीन लेखाशीर्षक **"2059-**लोक निर्माण कार्य-आयोजनेत्तःर-**80-**सामान्य-**001-** निर्देशन तथा प्रशासन-**03-** निदेशन के **49-**चिकित्सा व्यय" के मद के नामे डाला जायेगा।

भवदीय

राजेश प्रताप सिंह

उप सचिव।

संख्या-27/2023/1505/तेइस-7-2023-23-7099/40/2023-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1- महालेखाकार,उ0प्र0, प्रयागराज।

2- नोडल अधिकारी, बजट, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

3- वित्त नियंत्रक,लोक निर्माण विभाग,उ**0**प्र**0,**लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- मुख्य कोषाधिकारीकोषाधिकारी/, जनपद बाँदा।

5- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-**1**, लोक निर्माण विभाग, बाँदा।

6- श्री सुभाष कुमार, चौकीदार, निर्माण खण्ड-**1**, लोक निर्माण विभाग, बाँदा।

7- गार्ड पत्रावली हेतु।

आज्ञा से
राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।